Annexure-8-B

कार्यालय कलेक्टर (नजूल) जिला गुना (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक – 43120(1)/99–2000

फार्म – उ

(कंडिका 28 देखिए)

भवन के प्रयोजन के लिए नगर पालिका अभ्यन्तर नजूल का पट्टा

पक्षकार – यह अनुबंध आज तारीख 28.9.2001 मास सितम्बर 2001 प्रथम पक्ष म0प्र0 के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात पटटाकर्ता कहा गया हैं) और द्वितीय पक्ष जय प्रकाश सेवा संस्थान रीवा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात पटटेदार कहा गया है के बीच किया जाता हैं ।

प्रीमियम – यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि पट्टेदार द्वारा प्रीमियम के रूप में शासन आदेशानुसार बिना प्रव्याजि के जिसकी प्राप्ति को पट्टाकर्ता एतद द्वारा अभिस्वीकार करता है और इसमें इसके पश्चात आरक्षित किये गये वार्षिक भू–भाटक के तथा पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के , जो इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट है प्रतिफलस्वरूप –

पट्टान्तरण– पट्टाकर्ता एतद् द्वारा गुना जिले के ग्राम रघुनाथपुरा तहसील राघोगढ़ में उसकी नगरपालिका सीमाओं के भीतर सर्वे क्रमांक 4 रकबा 0.711 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 5 रकबा 33.707 हेक्टेयर 6 रकबा 0.533 हे. सर्वे क्रमाक 7 रकबा 3.344 हे. तथा सर्वे क्रमाक 10 रकबा 2.466 हेक्टेयर कुल रकबा 40. 761 हेक्टेयर भूमि और जो इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टता वर्णित हैं, तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि में जिसकी सीमाएं इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित की गयी हैं और उसमें लाल रंग से बताई गई हैं ।

अवधि – इस अनुबंध की तारीख से प्रारंभ होने वाली तथा 31 मार्च 2100 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए उसे धारण करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुऐ पट्ठातंरित करता है

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Distt. Guna

B.D. RAMTEKE
Jawahar Navodaya Vidyalaya
शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.)
Shamshabad, Distt-Vidisha-(M.P.) 464111

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

शान्ति गौड़ पुत्र जयप्रकाश गौड़ प्रमाणित मु.आम
नाम जयप्रकाश गौड़ ट्रस्टी जयप्रकाश सेवा संस्थान रीवा

उप जिला .... गुना

जिला ...... गुना ...... का पंजीयक से

20 SEP 2001

12.40 बजे

उप पंजीयक

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna
CBSE Affiliation No.-1030658

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

भू- भाटक – (1) पट्टेदार प्रति वर्ष जून के प्रथम दिन तहसीलदार राधौगढ़ के कार्यालय में समस्त कटौतियों से मुक्त एक रूपये वार्षिक भू–भाटक का संदाय करेगा।

कर आदि – पट्टेदार समय–समय पर और उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे समस्त रेंटो , करों, प्रभारों तथा प्रत्येक प्रकार का निर्धारणों का संदाय तथा उन्मोचन करेगा जो कि एतद द्वारा पट्टान्तरित की गयी उक्त भूमि पर या उस पर निर्मित किये जाने वाले भवनों पर या उसके संबंध में भू–स्वामी या अधिभारी पर इस समय या एतद पश्चात उक्त अवधि के दोरान किसी भी समय निर्धारित प्रभारित या अधिरोपित किये जायें ।

भवन की कालावधि – पट्टेदार इस पटटे की तारीख से ...तीन............कलेण्डर मास के भीतर भवन निर्माण करना प्रारंभ करेगा और कम से कम ...690लाख.रूपये की लागत से वास एवं उपयोग्र के योग्य भवन का, साथ ही यदि आवश्यक हो तो इस पटटे की तारीख से 31 जुलाई 2002 वर्ष के भीतर निर्माण करेगा तथा उसे बिल्कुल पूरा करेगा ।

(3–क) उक्त भूमि पर निर्मित किये जाने वाले भवन में, पटटेदार निम्नलिखित बाजुओं में दरवाजों खिड़कियों अथवा प्रकाश या वायु के लिए या प्रवेश के साधपन के रूप में किन्हीं अन्य भागों (ओपनिंग्स) का निर्माण कर सकेगा ।

पट्टेदार उक्त भूमि पर ऐसे किसी भवन का निर्माण करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसका कि कोई भी दरवाजा, खिड़की अथवा प्रकाश या वायु के लिए या प्रवेश के साधन के रूप में कोई अन्य मार्ग भवन या भूमि के शेष बाजुओं में हो, जिससे कि ऐसी शेष बाजुओं से लगी हुई भूमि पर प्रकाश या वायु या मार्ग संबंधी कोई भी अधिकार अर्जित किया जा सके, इसका आशय यह है कि न तो यह पट्टा और न उसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात पट्टाकर्ता को या

बी.डी. रामटेके / B.D. RAMTEKE
जवाहर नवोदय विद्यालय
Jawahar Navodaya Vidyalaya
शमशाबाद
Shamshabad, Distt.-Vidisha (M.P.) 464111

निर.........3

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Distt. Guna

Jaiprakash Sewa Sanstha
Authorised Signatory

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
DISTT. GUNA

जयप्रकाश गौड़ ट्रस्टी
जयप्रकाश सेवा संस्थान रीवा की ओर से मु० आमि
शान्ति गौड़ पुत्र जयप्रकाश गौड़ जे.पी. रीवा सीमेंट
जे.पी. नगर रीवा म.प्र.

पट्टा

.... गये हैं।

सुशील चन्द्र पुत्र श्री जे.ओ. श्रीवास्तव उपसंचालक कृषि गुना

२०/विजय सिंह पुत्र श्री राजकुमार सिंह जे.पी. रीवा सीमेंट, जे.पी. नगर रीवा

... / ...
2 .. SEP ...

PRINCIPAL
... SCHOOL
... Guna

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

उससे धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी शेष बाजुओं पर उक्त भूमि की सीमा से सटे हुए पार्श्व में किसी भी भवन का किसी भी समय निर्माण करने से किसी भी रूप में निवारित नहीं करेगी ।

(3–ख) पट्टेदार उक्त भूमि पर निर्मित भवन में, या उससे सटे हुये या उसके ऊपर या उसके सामने किसी एसे प्रलम्बन या संरचना को, जो कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि के बाहर किसी भी भूमि पर आगे की ओर निकलता/निकलती हो या उस पर अतिक्रमण करता /करती हो, न तो जोड़ेगा और न उसका विस्थापन करेगा ।

(3–ग) पटटेदार उक्त भूमि के सामने की ओर पार्श्व में कम से कम आठ फुट चौड़ी तथा अन्य बाजुओं में से पत्येक बाजू की ओर पार्श्व में कम से कम पांच फुट चौड़ी जगह खुली छोड़ेगा, परन्तु पीछे की तरफ पार्श्व में की पांच फुट जगह पर केवल एक संडास ही बनाया जा सकेगा ।

(3–घ) कुल निर्मित क्षेत्र उक्त भूमि के कुल क्षेत्रफल 40.761 हेक्टेयर के 50/33.3 प्रतिशत से अधिक नही होगा ।

(3–ड)यदि नगर पालिका परिषद की भवन निर्माण संबंधी उपविधियों द्वारा यह अपेक्षित हो कि पार्श्व में उतनी जगह से अधिक जगह खुली छोड़ी जानी चाहिए या निर्मित क्षेत्र उतने से कम होना चाहिए जितना/जितनी कि कमशः खण्ड (3–ग) तथा (3–घ)में विनिर्दिष्ट है, तो भवन निर्माण संबंधी ऐसी उपविधियों के उपबंध ही अभिभावी होंगे ।

भवन का विनिमय– (4) उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के विषय में , पट्टेदार नगरपालिका से संबंधित विधि के उपबन्धों के तथा उन नियमों , उपविधियों एवं आदतों के, जो कि उसके (उक्त विधि के अधीन विधि पूर्व बनाये गये /बनाई गई हो, तथा दिये गये हों, और जो कि तत्समय

निरं.........4

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Distt. Guna

Jaiprakash Sewa Sanstha
Authorised Signatory

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

वरीष्ठ विष्पादक / पालन / अभिकर्ता,
श्रीमति गौड़ ...
निष्पन्न ...
किये हैं। दिनांक 2 ... SEP 2001

उप पंजीयक

श्रीमति ...
(I.A.S.)
कलेक्टर (G.)

28 SEP 2001

गवाह :- ①

2 S.C. ...

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna
CBSE Affiliation No.-1030658

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

प्रवृत्त हो, अध्यधीन रहेगा । यह भवनों, उसमें किए जाने वाले – परिवर्तनों या उसमें की जाने वाली वृद्धियों के समस्त रेखंको पर कलेक्टर का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए बाआवद्ध होगा ।

समुचित अपनुरक्षण –(5) पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को वास तथा उपयोग के योग्य दशा में रखेगा । (5–क) नजूल भू–परिमाप मानचित्र पर सांरेखिक (ट्रेस) भू–परिमाप चिन्ह कमांक उक्त भूमि पर विदमान हैं । पटटेदार कलेकटर की पूर्व अनुज्ञा के बिना उन पर कोई ऐसा निर्माण नहीं करेगा या उनके सम्बन्ध से अन्यथा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिससे कि उनकी उपयोगिता का हास हो जायें ।

व्यापार का – कारोबार (6–क) पट्टेदार कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना, परिसर पर कोई ऐसा व्यापार, कारोबार या कियाकलाप, जिसके की विनियमन के लिए नगर पालिकाओं से संबंधित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किया गया हो, न तो करेगा और न ही किये जाने की अनुज्ञा देगा , परन्तु ऐसी अनुज्ञा पट्टेदार को उक्त विधि के अधीन ऐसी किन्हीं भी अपेक्षाओं की पूर्ति करने में छूट नहीं देगी जिनके कि अध्यधीन वह सदैव रहेगा ।

(6–ख) पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार, कारोबार या कियाकलाप, जो कि इस प्रकार विनियमित न किया गया हो, कर सकेगा या किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा , किन्तु वह उसे बन्द करने के लिए उस दशा में आवद्ध होगा जब कि पट्टाकर्ता पड़ोसियों की शिकायत पर अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि वह(व्यापार, कोरोबार या कियाकलाप) उसके लिये क्षोभ या संताप का कारण है, पट्टेदार से यह अपेक्षा करें कि वह (पट्टेदार) ऐसे समय के भीतर, जो कि अध्यपेक्षा में नियत किया जाए, एस व्यापार, कारोबार या कियाकलाप को बन्द कर दें ।

Jaiprakash Sewa Sansthan
Authorised Signatory

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna
CBSE Affiliation No.-1030358

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

Jawahar Navodaya Vidyalaya
Shamshabad Distt. Vidisha (M.P.) 464111

निर..........5

समुनदेशन – (7) पटटेदार परिसर या उसके किसी भी भाग के प्रत्येक समनुदेश पर और तत्पश्चात एक कैलेण्डर मास के भीतर कलेक्टर को ऐसे समनुदेश की सूचना देगा जिसमें कि ऐसे प्रत्येक समनुदेशन के पक्षकारों के नाम तथा वर्णन और उसकी (प्रत्येक समनूदेशन की) विशिष्टियों एवं प्रभाव उपवर्णित किये जायेंगे। इसी प्रकार पट्टेदार का हित–उत्तराधिकारी भी, चाहें वह अन्तरण द्वारा हो या विरासत द्वारा, इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह कब्जा प्राप्त करने के पश्चात एक माह के भीतर वैसी ही विशिष्टियों सहित सूचना दें ।

निर्वाध उपभोग – (8) पट्टाकर्ता यह प्रसंविदा करता है कि एतद द्वारा आरक्षित भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट शर्ता का पालन तथा अनुपालन करने वालाा पटटेदारी पटटाकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विघ्न या विक्षोभ पहुंचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शन्तिपूर्वक धारण करेगा औरा उसका उपभोग करेगा ।

पुनः प्रवेश – परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटक या उसका कोई भी भाग, चाहे उसकी विधिपूर्वक मांग की गई या नहीं, उस तारीख के, जिसको कि वह शेध्य हे, ठींक पश्चात एक कैलेण्डर मास तक बकाया या अंसदत्त रहे और यदि पटटेदार उक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का भंग या अनुपालन करें , तो पट्टाकर्ता किसी भी पूर्व कारण का या पुनः प्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी, उक्त भूमि पर प्रवेश करी सकेगा और उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा मानो कि यह पट्टान्तरण किया ही नहीं हो, ऐसी दशा में पटटेदार एसे पुनः प्रवेश की तारीख के तीन कैलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवे स्थयकों को हटाने का हकदार होगा जो पटटान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा भूमि पर निर्मित किये गये हों या लगाये गये हों परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई

Jaiprakash Sewa Sansthan
Authorised Signatory

निर.........6

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
..., Distt. Guna
... No.-1030..3

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

कारण या पुनः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पटटाकर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेशकी शक्ति को प्रयोग में न ले जाने के प्रतिफल स्वरूप 500/- रूपये से अधिक धनराशि, जैसी कि कलेक्टर नियत करें और यदि पटटेदार, कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर कलेक्टर नियत करें, पटटेदार से प्राप्त करें और यदि पटटेदार, कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करें, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के भांति वसूली करें या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार को प्रयोग में न लायें ।

नवीनीकरण -(9) पटटाकर्ता यह और प्रसंविदा करता है कि वह एतद द्वारा मंजूर की अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात भी समय-समय पर ऐसी प्रत्येक अनुक्रमिक उत्तरभावी अवधि के, जो पटटेदार के, निवेदन तथा खर्च पर मंजूर की जायेगी अन्त में उसके लिए उक्त भूमि का नवीनकृत पटटा 99 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित करेगा ।

परन्तु नवीनीकृत पटटे की मंजूरी के लिए भाटक में वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीनीकृत पटटे में, इसमें अन्तर्विष्ट शर्तो में से ऐसी शर्ते जो कि लागू होने योग्य हो और ऐसी अन्य शर्तो जो कि भविष्य के लिए उचित समझी जाए, अन्तर्विष्ट रहेगी ।

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक अनुक्रमिक नवीनीकरण पर नियत किये जाने वाले भाटक तथा अधिरोपित की जाने वाली शर्तो के बारे में पटटाकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा ।

निर्वचन - (10) इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग में लाई अभिव्यक्तियों ''पटटाकर्ता'' तथा ''पटटेदार''के अन्तर्गत, जब तक सन्दर्भ में असंगत न हो पूर्व कथित के मामले में उसके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिती और पश्चात कथित के मामले में उसके, वारिस, निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आयेंगे ।

म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के पत्र कमांक - एफ 6-65/2000/सात नजूल दिनांक 9.11.2000, दिनांक 7.6.2001 एवं एफ 6-65/2001/सात/नजूल दिनांक 3.8.2001 द्वारा भूमि आवंटन की स्वीकृति दी जाकर निम्न विशेष शर्तो के अधीन अनुमति दी हैं :-

Jaiprakash Sewa Sanstha
Authorised Signatory

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
... Distt. Guna

B.D. RAMTEKE

निर.......7

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

(1) अगर निर्धारित अवधि (शैक्षणिक सत्र 2002–2003) में इंजीनियरिंग कालेज प्रारंभ नहीं किया जाता हैं अथवा इस भूमि का किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग किया जाता हैं तो यह भूमि उस पर निर्मित भवनों आदि सहित वापस शासन में वैष्ठित हो जायेगी

(2) भूमि के किसी भी उपयोग या इस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियों संबंधित स्थानीय संस्थाओं, नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश आदि से लेनी होगी तथा मास्टर प्लान व पर्यावपरण संरक्षण अधिनियम आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा ।

(3) कृषि विभाग के स्थल पर खड़े गैराज, कार्यालय तथा शेडस आदि लोक निर्माण विभाग के पर्यवेक्षक में तुड़वाया जायेगा । तुड़वाने का तथा सामान दुलवाने का व्यय संस्थान द्वारा व्यय किया जायेगा ।

नगर का नाम	सर्वे कमांक	रकबा	प्रीमीयम	वार्षिक भू–भाटक
ग्राम रघुनाथपुरा	चार	0.711 हेक्टर	निल	1.00 (रूपये एक)
तहसील राघोगढ़	पांच	33.707 हेक्टर		
	छः	0.533 हेक्टर		
	सात	3.344 हेक्टर		
	दस	2.466 हेक्टर		
		कुल रकबा 40.761 हेक्टर		

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने, विनिर्दिष्ट की गई तारीख तथा वर्ष की इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

कलेक्टर
जिला – गुना (म०प्र०)
पट्टा देने वाले के हस्ताक्षर

साक्षीगण
1. ....
RAN VIJAY SINGH S/O SH. RAJ KUMAR SINGH
R.O. J.P. NAGAR
DIST REWA
M.P.

2. ....
C.C. Shrivastava
C.C. SHRIVASTAV
D.D.A Guna
S/o Shri J.B. Shrivastava

Jaiprakash Sewa Sansthan
पट्टेदार के हस्ताक्षर
Authorised Signatory

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

नक्शा अजरा ग्राम जयनापुरा ह० न० ८
तहसील = राघोगढ़
[illegible]
[illegible]

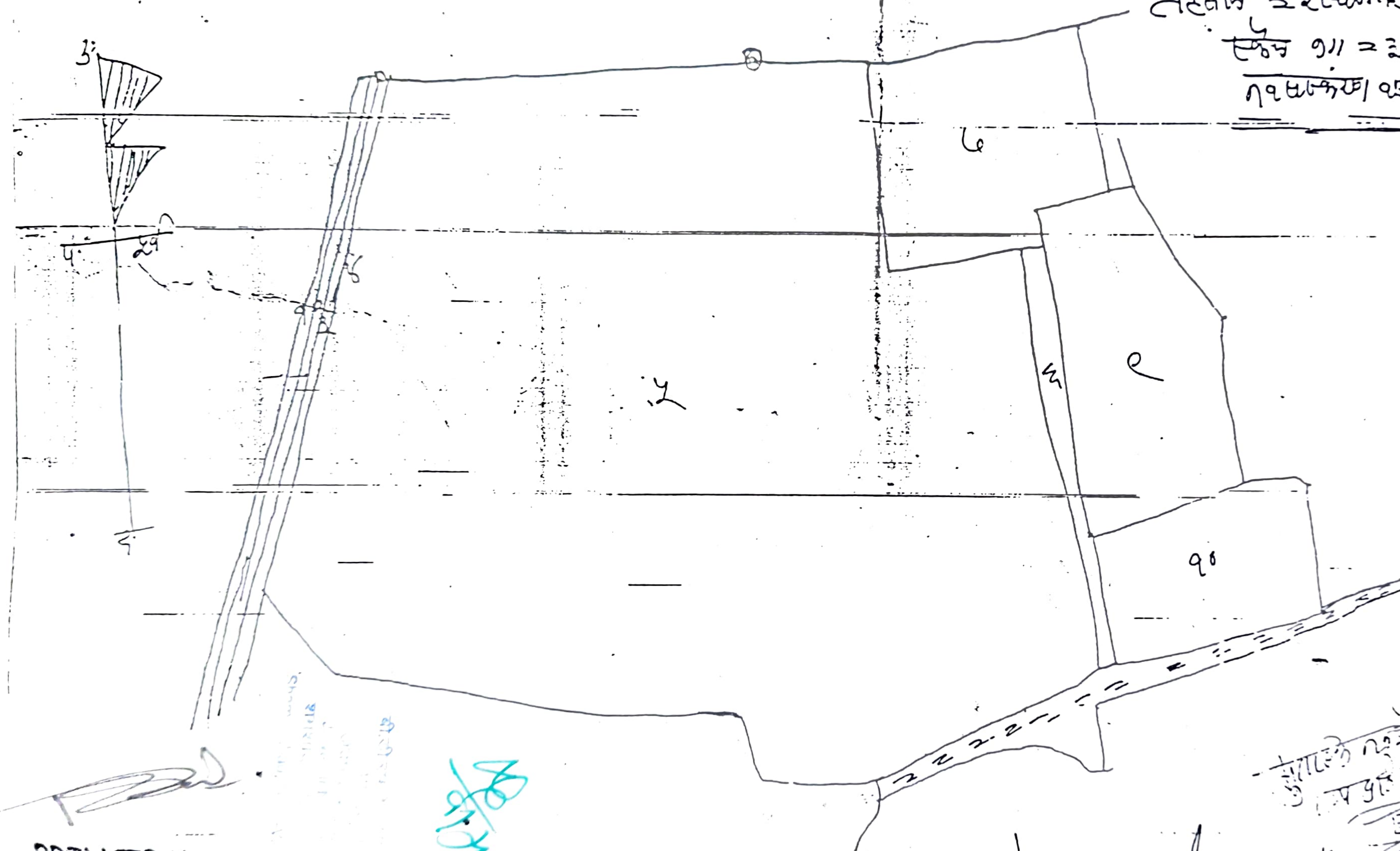

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna
CBSE Affiliation No.-1030658

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

S.C
DDA

रसीद दस्तावेज़ कांग्रेस 3424
55

दफ्तर .... 21-22 ' मुकाम ....

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म को मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) रकम मदा	रजिस्ट्री... के ... को ... के दस्तखत
1	2	3	4
	श्री [illegible] गोंड पट्टा 99 वर्ष	40 रु	

D. Nil
Rs 120

तारीख ...... 28 SEP 2001

उप-पंजीयक
गुना (म. प्र.)

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna
CBSE Affiliation No.-1030658

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

डी. [illegible] D. D. RAMTEKE
[illegible]
शमशाबाद [illegible] (म.प्र.)
Shamshabad, [illegible] (M.P.) 464111

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एंव करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

फ़ार्म बी-I
किश्तबन्दी खतौनी (आसामीवार)

174329064

खाते के ब्यौरे | वसूलियां | खजाने में जमा करने के ब्यौरे | वर्ष की समाप्ति पर बाकी | वर्ष की समाप्ति के पश्चात की वसूलियां | जारी की गई बकाया

खाते का अनु क्रमांक	भूमिस्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते में शामिल प्रत्येक भू-मापन क्रमांक का क्रमांक	प्रत्येक भू-मापन क्रमांक का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किस्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	आदेशिका के ब्यौरे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
६१	जयप्रकाश सेवा संस्थानरीवा भूमि स्वामी भूमि स्वामी भूमि स्वामी	४ ५ ६ ७ १०	०.७११ भू.रा.शा. ४ ३३.७०७ भू.रा.शा. ४ ०.५३३ ३.३४४ २.४६६	I II																		
		५	४०.७६१																			

uy

10 Rs. COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :
कार्यालय तहसील राघौगढ
नाम, पद एवं दिनांक :
आवेदन का आवक क्रमांक 421/10
आवेदन प्राप्ति की तारीख 17-06-10
प्रभारित
प्रति जारी करने की तारीख 17-06-10
भार. ... अधिकारी तहसील राघौगढ

क्रमांक 15

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna
CBSE Affiliation No.-1030853

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर मे एंव करो का ब्योरा रुपये पैसों मे

खसरा

दिनांक : १७/०६/ ० १३:५०

NIC-VER3R4- veerendra

19427454089

ग्राम [illegible] [illegible] प.ह. नं. राघौगढ़ तहसील राघौगढ़ जिला गुना वर्ष २००९-२०१०

प्रमांक	रकबा (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	पट्टेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१० मार I	२.४६६	जयप्रकाश सेवा संस्थानरीवा भूमि स्वामी भू.रा.शा. ४		चना	अ १.०००				अन्य २.४६६		

wr

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

नाम, पद एवं दिनांक :

42/7110
17-0710
17-0710
17/6/10

PRINCIPAL
JAY JYOTI SCHOOL
Raghogarh, Distt. Guna

बी.डी. रामटेके B.D. RAMTEKE

MANAGER
JAY JYOTI SCHOOL
RAGHOGARH, DISTT. GUNA